राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग एवं
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

F. ( )/NHM/Health Insurance/2015-16/ 50 Date: 17/12/15

अधीक्षक मेडिकल कॉलेज, (समस्त)
प्रिन्सीपल मेडिकल कॉलेज,(समस्त)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)
राजस्थान।

विषयः– भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत विशेष निर्देशो पर ध्यान देने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ दिनांक 13.12.2015 को माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा किया गया है एवं योजनान्तर्गत निम्नलिखित निर्देशों पर ध्यान दें:–

1. भामाशाह स्वास्थ बीमा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) का पात्र परिवार होना चाहिए एवं अपनी पहचान साबित करने के लिए लाभार्थी/मरीज को राशन कार्ड या RSBY Card तथा एक फोटो पहचान पत्र लाना अति आवश्यक है।
2. यदि कोई व्यक्ति भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभार्थी नही है परन्तु राजस्थान का मूल निवासी है तो इस अवस्था में उसे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना तथा अन्य प्रचलित योजनाओं के तहत इलाज उपलब्ध कराया जायेगा। यदि व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी नही हैं तो उस व्यक्ति/मरीज से इलाज की राशि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आने वाले डिजीज पैकेज के अनुसार ली जाएगी एवं इलाज योजनान्तर्गत डिजीज पैकेजेज के अन्तर्गत न आने की स्थिति में सम्बन्धित अस्पताल के RMRS के अन्तर्गत आने वाले पैकेज रेट के अनुसार देय होगी एवं सम्बन्धित RMRS के अनुरूप ही नियम व शर्ते मरीज पर लागू होगी।
3. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सरकारी संस्थानो पर जननी शिशु सुरक्षा योजना से सम्बन्धित डिजीज पैकेजेज सम्मिलित नही किए जाएगें एवं इन्हे जननी सुरक्षा योजना/जननी शिशु सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ही पूर्वानुसार अग्रिम आदेशों तक लागू किया जाएगा।
4. कुछ जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार मरीज की पर्ची पर डिजीज पैकेज का कोड अंकित नही किया जा रहा है आप सभी से अनुरोध है कि इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देते हुए अपने अन्तर्गत आने वाले सभी चिकित्सकों को निर्देशित करें कि वे आने वाले मरीजो की पर्ची पर डिजीज पैकेज कोड अनिवार्यतः अंकित करें।
5. सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी rajswasthya.nic.in पर uploaded अनुबन्धित निजी अस्पतालों की सूची का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करे कि उनके जिले के प्रत्येक क्षेत्र में निजी अस्पतालों का एम्पेनलमेन्ट हो गया हो ऐसा ना होने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा सुनिश्चित करावें, इस हेतु प्रस्ताव श्रीमती मंगला शर्मा (Ph. No.9414827132, rm.singh@newindia.co.in) एवं सी.ई.ओ. स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी को भिजवायें ताकि निजी अस्पतालों की सहभागिता पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जा सके।

(डॉ. नीरज के. पवन)
सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

F. ( )/NHM/Health Insurance/2015-16/ 50 Date: 17/12/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
5. सेन्ट्रल सर्वर रूम – ईमेल हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी